न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 15/2024

प्रार्थीः-

मन्नी पत्नी मेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम गोगोर तहसील कुचामन जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1.ओगड पुत्र धनाराम
2.खानू पुत्र धनाराम
3.चूनी पत्नी धनाराम
4.भागू पुत्र धनाराम
5.मेघा पुत्र धनाराम
6.खीयाराम पुत्र गिरधारी
7.गंगाराम पुत्र गिरधारी फौत के कायम मुकाम-
7/1 कमली पुत्री गंगाराम
7/2 कवराई पुत्री गंगाराम
7/3 गीतादेवी पुत्री गंगाराम
7/4 विशनाराम पुत्र गंगाराम
7/5 सुगनादेवी पत्नी गंगाराम जातियान राईका निवासीगण ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8.गुमान पुत्र गिरधारी
9.बाबू पुत्र गिरधारी
10.भंवराराम पुत्र गिरधारी
11.मोहनराम पुत्र गिरधारी जातियान राईका निवासीगण ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं.- 1 से 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 12- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 04/08/25

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चांदेलाव, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 1.9659 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 135/1 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 135/2 रकबा 1.1973 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा संख्या 138/1 रकबा 0.7766 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 138/7 रकबा 1.8607 हैक्टेयर आयी हुयी है तथा खसरा संख्या 138/7 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 139 रकबा 6.5044 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है तथा खसरा संख्या 139 गै. मु. रास्ता की भूमि जो ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135, 135/1, 135/2 व 138/1 में काश्त कार्य हेतु आने-जाने के लिए व काश्त हेतु साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के खेत खसरा संख्या 138/7 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे रास्ते से होकर खसरा संख्या 139 गै.मु. रास्ता पर

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

आती जाती है। खसरा संख्या 138/7 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे स्थित रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी. सी.डी. से दर्शित किया गया है। उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135, 135/1, 135/2 व 138/1 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता है, इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नही है तथा उक्त मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही है। भूमि खसरा संख्या 138/7 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135 में पहुंचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को कोई अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 ने खसरा संख्या 138/7 में स्थित उक्त मार्कसुदा रास्ते की भूमि को आज से 10-12 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर धोरा देकर बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135, 135/1, 135/2 व 138/1 में आने-जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135, 135/1, 135/2 व 138/1 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का खसरा संख्या 138/7 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरुद्ध खसरा संख्या 138/7 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. वांछित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 138/7 रकबा 1.8607 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. चौड़ाई 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा संख्या 138/7 रकबा 1.8607 हैक्टेयर का भाग है, जो राजस्व ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम चांदेलाव, तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 135 रकबा 1.9659 हैक्टेयर, खसरा संख्या 135/1 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा संख्या 135/2 रकबा 1.1973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 138/1 रकबा 0.7766 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 138/7 रकबा 1.8607 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेती है, जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम चांदेलाव, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 138/7 रकबा 1.8607 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 135, 135/1, 135/2, 138/1 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 138/7 रकबा 1.8607 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग वाले घोषित राजकीय रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे ।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 1 से 11 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 12 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम रणसीगांव में स्थित खसरा सं. 135, 135/1, 135/2, 138/1 में काश्त कार्य करने हेतु आने-जाने हेतु वर्तमान मे मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया अपने खेत में जाने के लिए आस-पडौस के खेतों से अस्थाई रूप आना-जाना करती है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं है। उक्त भूमि असिंचित है तथा डामर सडक पर है जिनकी डीएलसी दर प्रति हैक्टयर 145644/- रूपये है। प्रार्थीया के द्वारा वांछित रास्ते की भूमि खसरा सं. 138/7 ग्राम चांदेलाव में से जाने वाली भूमि का रकबा व डीएलसी दर निम्नानुसार है।

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टयर में	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	खातेदार का हिस्सा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि
1.	ओगड पुत्र धनाराम	138/7	1.8607	0.0112 हैक्टयर	1/10	145644	3262
2.	खानू पुत्र धनाराम	138/7	1.8607	0.0112 हैक्टयर	1/10	145644	3262
3	चुनी पत्नी धनाराम	138/7	1.8607	0.0112 हैक्टयर	1/10	145644	3262
4	भागू पुत्र धनाराम	138/7	1.8607	0.0112 हैक्टयर	1/10	145644	3262
5	मेघा पुत्र धनाराम	138/7	1.8607	0.0112 हैक्टयर	1/10	145644	3262
6	खींयाराम पुत्र गिरधारी	138/7	1.8607	0.0094 हैक्टयर	1/12	145644	2738
7	कमली पुत्री गंगाराम	138/7	1.8607	0.0019 हेक्टयर	1/60	145644	553
8	कवराई पुत्री गंगाराम	138/7	1.8607	0.0019 हेक्टयर	1/60	145644	553
9	गीता देवी पुत्री गंगाराम	138/7	1.8607	0.0019 हेक्टयर	1/60	145644	553
10	विशनाराम पुत्र गंगाराम	138/7	1.8607	0.0019 हेक्टयर	1/60	145644	553
11	सुगनादेवी पत्नी गंगाराम	138/7	1.8607	0.0019 हेक्टयर	1/60	145644	553
12	गुमान पुत्र गिरधारी	138/7	1.8607	0.0094 हैक्टयर	1/12	145644	2738
13	बाबू पुत्र गिरधारी	138/7	1.8607	0.0094 हैक्टयर	1/12	145644	2738
14	भंवराराम पुत्र गिरधारी	138/7	1.8607	0.0094 हैक्टयर	1/12	145644	2738
15	मोहनराम पुत्र गिरधारी	138/7	1.8607	0.0094 हैक्टयर	1/12	145644	2738
	योग			0.1125 हैक्टयर			3276[illegible]

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 138/7 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्षे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 11 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम चान्देलाव तहसील बिलाड़ा की सरहद मे स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 135, 135/1, 135/2, 138/1 में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 138/7 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 135, 135/1, 135/2, 138/1 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक कापरडा के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थीया तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोश में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 19.11.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04/03/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा